



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082020-220994
CG-DL-E-08082020-220994

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2367]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2020/श्रावण 16, 1942

No. 2367]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2020/SHRAVANA 16, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2020

का.आ. 2668(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, डिप्टी कमिश्नर कार्यालय राजौरी, जिला राजौरी। (NH 144A) के कि.मी 166.05 से 192.85, डिप्टी कमिश्नर कार्यालय पुंछ, जिला पुंछ। (NH 144A) के कि.मी 166.05 से 192.85 जम्मू और कश्मीर राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH 144A पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डिप्टी कमिश्नर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	जम्मू और कश्मीर	राजौरी	मँन्जाकोट	1 कलाली

		NH 144A के कि.मी. 166.05 से 192.85 तक					2 देहरी राल्योट 3 पतराडा 4 गाल्हुटी 5 कोटली कालावन
2	डिप्टी कमिश्नर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 144A के कि.मी. 166.05 से 192.85 तक	जम्मू और कश्मीर	पूँछ	मेंढर	1 बाटा धूऊरिया 2 संजोट	

[फा. सं. 7/3a]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2020

S.O. 2668(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 166.05 to 192.85 of Deputy Commissioner Office Rajouri, Dist. Rajouri. (NH 144A) , 166.05 to 192.85 of Deputy Commissioner Office Poonch, Dist. Poonch. (NH 144A) in the State of JAMMU & KASHMIR.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH 144A in the State of JAMMU & KASHMIR.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Commissioner	166.05KM To 192.85KM	JAMMU & KASHMIR	Rajouri	Manjakote	1 Kalali 2 Dehri Ralyote 3 Patrara 4 Galhuti 5 Kotli Kalaban

2	Deputy Commissioner	166.05KM To 192.85KM	JAMMU & KASHMIR	POONCH	Mendhar	<table><tr><td>1</td><td>Bhatta Dhurian</td></tr><tr><td>2</td><td>Sangiote</td></tr></table>	1	Bhatta Dhurian	2	Sangiote
1	Bhatta Dhurian									
2	Sangiote									

[F. No. 7/3a]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.